

फैक्ट शीट

1. परियोजना का नाम – मा10 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 233/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 3.0100 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।
2. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे0 में) –
 1. आरक्षित वन भूमि – 3.0100 हे0
 2. सिविल एवं सोयम वन भूमि – शून्य
 3. वन पंचायत भूमि – शून्य
 4. निजी भूमि/नाप भूमि – 0.9100 हे0

योग– 3.9200 हे0
3. प्रस्तावक विभाग का नाम – अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश
4. वन प्रभाग का नाम – मसूरी वन प्रभाग

5.	प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है–	हाँ✓	नहीं
6.	प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है–	हाँ✓	नहीं
7.	क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग – 1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है–	हाँ✓	नहीं
8.	क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है–	हाँ✓	नहीं
9.	प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का धनत्व दर्शाया गया है–	हाँ✓	नहीं
10.	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है–	हाँ✓	नहीं
11.	बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है–	हाँ✓	नहीं

12. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है–
संरक्षण इस प्रकार से तैयार किया गया है कि संरक्षण पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हैं।

13.	समरक्षण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है–	हाँ✓	नहीं
14.	क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का धनत्व सही है–	हाँ✓	नहीं
15.	क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव संलग्न है–	हाँ✓	नहीं
16.	क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है–	हाँ✓	नहीं
17.	प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़ें स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है–	हाँ✓	नहीं
18.	क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है–	हाँ✓	नहीं✓

19.	प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है— यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है—	हाँ	नहीं ✓
20.	क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है—	हाँ ✓	नहीं
21.	प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है— (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)।	हाँ	नहीं
22.	क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है—	हाँ ✓	नहीं
23.	यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है—	हाँ ✓	नहीं
24.	क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है—	हाँ	नहीं ✓
25.	यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय—	हाँ	नहीं
26.	सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं—	हाँ ✓	नहीं
27.	वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)।	हाँ ✓	नहीं
28.	लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है— (5 हे० से अधिक प्रकरणों में लागू होगा)	हाँ	नहीं
29.	मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है—	हाँ ✓	नहीं
30.	मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है— अथवा मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है—	हाँ	नहीं
31.	राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है—	हाँ ✓	नहीं
32.	क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है। यदि छाया प्रतियां संलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित हैं—	हाँ ✓	नहीं
33.	यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है—	हाँ	नहीं
34.	वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है—	हाँ ✓	नहीं
35.	क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है—	हाँ ✓	नहीं
36.	क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं—	हाँ ✓	नहीं

प्रस्तावक विभाग / प्रभागीय वनाधिकारी
अधिसूचना अधिनियम

हस्ताक्षर

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
मसुरी वन पथ, ग
देहरादून

प्रस्तावक विभाग / प्रभागीय वनाधिकारी
अधिसूचना अधिनियम

हस्ताक्षर

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
मसुरी वन पथ, ग
देहरादून

92

(पवीन चन्दरमल)

३२१०